(4)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38 / 2020

**GCMS CASE NO-2020/00038**

दायरा दिनांक 10.08.2020

हेतराम पुत्र आदूराम जाति रेगर निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ़

--प्रार्थी

बनाम

1. किरताराम पुत्र मेघाराम जाति रेगर निवासी गोपालसर तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

--अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित:-

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

-:: निर्णय ::-

दिनांक :23.10.2024

शिकायत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी किरताराम पुत्र मेघाराम रेगर निवासी गोपालसर को रोही गोपालसर का खसरा न. 170/5 में 30.00 बीघा बारानी भूमि संवत 2041 सन् 1984-85 में अलॉट हुई थी, जो प्रतिवर्ष कब्जा काश्त की जांच एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात नवीनीकरण होता रहा है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.12.1988 को आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष खसरा न. 170/5 में 30.00 भूमि को टीसी से पुख्ता आवंटन करने हेतु आवेदन पेश किया गया जो पुख्ता आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा मिसल संख्या 885/90 में पारित आदेश दिनांक 11.01.1991 द्वारा पुख्ता आवंटन हुई। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि पर वर्ष 1991 तक काश्त करता रहा। अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष खातेदारी प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 08.08.2008 को रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। बरवक्त खातेदारी प्रार्थी मुताबिक जमाबंदी संवत 2042 अनुसार उसी रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था। अप्रार्थी ने दिनांक 20.02.2016 को उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा न. 170/5 के स्थान पर खसरा न. 170/6 दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का, गिरदावर द्वारा बिना मौका की जांच किये व कागजात का अवलोकन किये अप्रार्थी के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यदि प्रार्थी का कब्जा खसरान. 170/5 में ना होकर खसरा न. 170/6 में था तो उसका टीसी आवंटन पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने चाहिये थे ना कि दुरूस्ती आदेश पारित होने चाहिए थे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार छाबड़ा हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि शिकायत प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य ही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 को खसरा नं0 170/5 में 30.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन ना होकर खसरा नं0 170/6 में 30.00 बीघा भूमि टीसी आवंटित हुई थी, जो संवत 2042 की जमाबंदी से साबित है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर मुझ अप्रार्थी संख्या 01 को, कब्जा भी दिया गया। टीसी आंवटन से लेकर आज तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) 1049

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Sonagara
Date: 2024.10.28 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

है। आंवटन रकबा का राजस्व रिकार्ड मे मुझ अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से अंकन है। प्रार्थी द्वारा टीसी से पुख्ता आवंटन संबंधी प्रार्थना पत्र पेश करने पर आंवटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा रोही गोपालसर के खसरा न0 170/5 मे 30.00 बीघा अर्थात 7.590 है0 पुख्ता आवटन कर दिया। परन्तु रोही गोपालसर के खसरा नं0 170/5 में 30.00 बीघा रकबा कभी भी नही रहा। इसलिए आंवटन अधिकारी ने खसरा मिन में दुरूस्ती कर दी गई। अप्रार्थी का कब्जा कभी भी खसरा नं0 170/5 की 30.00 बीघा नही हो सकता क्योंकि खसरा नं0 170/5 में मात्र 3.13 बीघा रकबा ही है। जिससे यह स्वयः ही सिद्ध होता है कि अप्रार्थी न0 1 के नाम रोही गोपालसर के खसरा नं0 170/6 में 30.00 बीघा भूमि पर आंवटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपनिवेशन के बाद प्रथम जमाबन्दी संवत 2042 बनी जिसमे भी अप्रार्थी नं0 1 के नाम खसरा नं0 170/6 में 30.00 बीघा दर्ज रिकार्ड था। रोही गोपालसर का रकबा डी कॉलोनी होने के पश्चात श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ ने अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खसरा न0 170/5 के खातेदारी अधिकार जारी किये जिसे समस्त रिपोर्ट लेने पर संशोधन कर खसरा नं0 170/6 कर दिया उसी के मुताबिक अप्रार्थी नं0 1 का राजस्व रिकार्ड खातेदारी अधिकारी दर्ज है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2021 पेज 481 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि जब तक आवंटन कपटकारित कर या मिस–रिप्रजेन्टेशन के प्राप्त ना किया गया हो, आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में भी मुझ अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नही छुपाये गये है। अतः उपरोक्त तथ्यों से आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजता एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नही होता है। तहसीलदार सूरतगढ ने अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खसरा न0 170/5 के खातेदारी अधिकार जारी किये गये, जिसे समस्त रिपोर्ट लेने पर संशोधन कर खसरा न0 170/6 कर दिया गया एवं उसी के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। खसरा दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच उपरांत की गई है जो नियमानुसार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतः लागू होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/10/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner